

17/10/23


पत्तावली पेश हुई। अधिवक्ता उक्त पत्तावाली
 उप। प्रकरण में वादीगण द्वारा प्राथमिक - पत्र
 अन्तर्गत आदेश 23 लिखित + स्थापित धारा 151
 जान ही का पेश कर वादीगण व प्रतिवादीगण के
 मध्य आपसी शर्तिका ले पात्र से पत्तावली
 को इसी स्तर पर बिना क्रिये पात्र का विवेक
 किया। अधि. प्रतिवादी द्वारा भी प्राथमिक पत्र पर
 अपनी सहमति व्यक्त की। वादी व प्रतिवादीगण की
 पहचान उक्त अधिवक्ता द्वारा ही गई। अतः
 पत्तावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्तावली
 को इसी स्तर ही पत्र किया जाता है। पत्तावली
 जिसल शुभार होकर नम्बर से कर ले।

विधि शुभार गया।

द्वय विद्वारे करना चाहते हैं

श्रीवता (अधिवक्ता/ प्राथमिक)


 नि. धानु (वादीगण)


 (वादीगण)


 नि. नारायण


 (अधि. प्रतिवादी)